(54) (69)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55/2018/प्रा.पत्र/2018	09.10.2018	07.03..2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र कुन्तीलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0

3–श्री पकंज कुमार अग्रवाल पुत्र नौरतमल अग्रवाल निवासी 18–19 मारूती कॉलोनी पंकज होटल के पीछे नयापुरा कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन स्वागत मार्केट पुरानी धान मण्डी कोटा राज0

4– मैसर्स श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन स्वागत मार्केट पुरानी धान मण्डी कोटा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 07.03.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.02.2018 को समय 1.38 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री महेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक(Vanaspati Zaika Brand Poly Pack 449–449 ग्राम के 32 पैकेट के 5 कार्टून मे से एक कार्टून को खोलकर जिसके बैच नं. जी यू. पी. 5 एंव पैकिंग की दिनांक 04.12.2017 थी को ज्यो का त्यो वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से 4 पैकेट कुल 1796 को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महेन्द्र कुमार जैन को रू0 126/–अक्षरे एक सो छब्बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack 1796 ग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

73

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1841 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1841 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. महेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। प्रार्थी द्वारा मौके पर नमूना कय करते समय श्री महेन्द्र कुमार जैन ने खाध पदार्थ अन्य फर्म से कय करने का वारंटी बिल मैसर्स श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन स्वागत मार्केट पुरानी धान मण्डी कोटा राज0 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/934 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/139/एक्ट/2018/146 दिनांक 21.03.2018 एंव निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2018 अनुसार महेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी पंकज कुमार अग्रवाल ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack) का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया वनस्पति जायका ब्राण्ड पॉली पैक (Vanaspati Zaika Brand Poly Pack का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को सुना गया। उसे भविष्य में तय मानको के मुताबिक ही खाद्य पदार्थ विकय करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी पंकज अग्रवाल के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री पकंज कुमार अग्रवाल पुत्र नौरतमल अग्रवाल निवासी 18–19 मारूती कॉलोनी पंकज होटल के पीछे नयापुरा कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन स्वागत मार्केट पुरानी धान मण्डी कोटा राज0 पर शास्ती 21,000/– (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

Scanned by CamScanner